ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Website: www.ijirset.com

Vol. 6, Issue 9, September 2017

चौमू तहसील (जिला जयपुर) में भूमि उपयोग प्रारूप का भौगोलिक अध्ययन

डॉ. सुरेन्द्र कुमार सैनी
सह–आचार्य, भूगोल विभाग
आर. एल. एस. राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा, जयपुर, राजस्थान

सारांश

कृषि मानव द्वारा किया जाने वाला प्राचीनतम आर्थिक गतिविधि है, वस्तुतः आदिमानव की सोच में जैसे–जैसे परिवर्तन आता गया उसी के अनुरूप वह विभिन आर्थिक क्रियाए यथा आखेट, पशुपालन एवं कृषि की और अग्रसर होता गया। बितते समय के साथ मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती गई फलतः अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य ने इन क्रियाकलापों पर और अधीक जोर दिया। कृषि प्रत्यक्ष रूप से भूमि से जुड़ा हुआ कार्य है तथा कृषि कार्य का सीधा प्रभाव क्षेत्र के भूमि उपयोग पर पड़ता है। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप उसी अनुपात में खाद्यानों की आपूर्ति करना अपने आप में एक विकट समस्या है, तथा वर्तमान प्रोद्योगिकी मानव उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कृषि आधुनिकीकरण की आड़ में विभिन्न प्रकार के रसायनों, कीटनाशकों एवं उर्वरकों का उपयोग फसल उत्पादन हेतु कर रहा है। यद्यपि इनके उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि निश्चित ही हुई है परंतु इनके उपयोग से फसलों की गुणवत्ता का भी ह्रास हुआ है इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता है। प्रस्तुत शोध–पत्र में जयपुर जिले की चौमु तहसील में भूमि उपयोग के प्रारूप का वर्णन किया गया है।

मूल बिंदु : प्रोद्योगिकी मानव, भूमी उपयोग, कृषि आधुनिकीकरण

IJIRSET

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Website: www.ijirset.com

Vol. 6, Issue 9, September 2017

परिचयः

प्रारम्भ में मनुष्य कृषि कारी केवल अपने जीवन यापन के लिए करता था परंतु धीरे–धीरे मानवीय आवश्यकताए बढ़ती गयी जिसके कारण मानव का कृषि एवं पशुपालन के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित हुआ। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य ने कृषि के परंपरागत स्वरूप को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया तथा आज बिना तकनीक के मानव कृषि की कल्पना भी नहीं कर सकता है। कृषि में बढ़ते रसायनों के उपयोग एवं प्रोद्योगिकी विकास ने भूमि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। आज मनुष्य कम समय में अधीक उपज लेने की लालसा के चलते अनेकों हानिकारक रसायनों का उपयोग कृषि कार्यों में कर रहे है जिससे भूमि की उर्वरता प्रभावित हो रही है। कृषि में आधुनिकीकरण का एक सकारात्मक पक्ष यह भी है की अब कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है तथा बंजर एवं पडत भूमि के क्षेत्रफल मे निरंतर कमी आ रही है। अध्ययन क्षेत्र चौमु तहसील मे भूमि उपयोग के वितरण को देखें तो प्राप्त आंकड़ो के आधार पर ज्ञात होता है की तहसील मे भूमि के सभी प्रारूप यथा कृषि अयोग्य भूमि, जोत रहित भूमि, बंजर भूमि आदि पाये जाते है।

अध्ययन क्षेत्र :

चौमु राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर जिले के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण तहसील है, चोमू का निर्माण राजस्थान के जयपुर शहर के भी 133 साल पहले चोमू का निर्माण हो चूका था और चोमू शहर भारत देश में अपनी ऐतिहासिक परम्परा, चोमू के किले और सांस्कृतिक महत्व की विरासत को लेकर देश में अलग पहचान बना रखी हैं। यह तहसील 27° 10' 12.00" उत्तरी अक्षांश से 75° 43' 12.00" पूर्वी देशांतरों के मध्य अवस्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार चोमू ब्लॉक (सीडी) का उप–जिला कोड 00541 है। चोमू तहसील का कुल क्षेत्रफल 681 वर्ग किमी है जिसमें 651.62 किमी ग्रामीण क्षेत्र और 29.15 किमी शहरी क्षेत्र शामिल है। चोमू तहसील की आबादी 3,95,009 है, जिसमें से शहरी आबादी 72,152 है जबकि ग्रामीण आबादी 3,22,857 है। चोमू का

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Website: www.ijirset.com

Vol. 6, Issue 9, September 2017

जनसंख्या घनत्व 580 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर है। उप–जिले में लगभग 60,737 घर हैं, जिनमें 11,252 शहरी घर और 49,485 ग्रामीण घर शामिल हैं। साक्षरता की बात करें तो चोमू तहसील की 62.18: जनसंख्या साक्षर है, जिसमें से 73.36: पुरुष और 50.04: महिलाएँ साक्षर हैं। चोमू तहसील में लगभग 115 गाँव हैं।

साहित्य पुनरावलोकन :

- **जे. टी. कॉपोक द्वारा 1964** में न्यूनतम वर्गों की पद्धति का उपयोग करते हुए 11 फसल क्षेत्रों (प्रथम क्रम के क्षेत्र) तथा 38 फसल संयोजन क्षेत्रों का निर्धारण किया है।
- **शर्मा, टी.सी. (1999)** ने अपनी पुस्तक ''टेक्नोलोजिकल चेन्ज इन इंडियन एग्रीकल्चर'' में कृषि, भूमि उपयोग से संबंधित बदलती धरातलीय विषमताओं का अध्ययन किया है, साथ ही कृषि की गहनता, भूमि उपयोग, कृषि नियोजन पर विस्तृत प्रकाश डाला है।
- **सिंह, बी.आर. (1996)** ने अपनी पुस्तक ''रिसर्च इन ज्योग्राफी, लेण्ड यूज चेन्जेज सस्टेबल'' में भूमि के बदलते उपयोग एवं इसका कृषि पर प्रभाव तथा नियोजन से संबंधित विभिन्न लेखकों के लेखों का समावेश किया है।
- **रामा प्रसाद (2002)** ने टोंक जिले में कृषि भूदृश्य का परिवर्तन भूमि उपयोग प्रारूप पर लेख लिखे तथा ग्रामीण परिवेश के समुचित नियोजन हेतु सुझाव प्रस्तुत किये।
- **प्रो. बी.बी. शर्मा, अक्षय शुक्ला (2011)** ने ''कृषि संसाधनों पर जनसंख्या दबाव के कारण पर्यावरण की समस्या'' में उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के विशेष अध्ययन द्वारा क्षेत्र में निरन्तर बढ़ी हुई जनसंख्या के कृषि भूमि उत्पादनों पर पड़ने वाले दबाव का अध्ययन किया है।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Website: www.ijirset.com

Vol. 6, Issue 9, September 2017

उद्देश्य :

- चोमू तहसील में भूमि उपयोग का विश्लेषण करना।
- चोमू तहसील कृषि भूमि प्रारूप का विश्लेषण करना
- चोमू तहसील में कृषि क्षेत्र में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना।

आंकड़ो के स्त्रोत :

प्रस्तुत शोध–पत्र को मुख्यतः द्वितीयक संमको के आधार पर पूर्ण किया गया है। शोध–पत्र को पूर्ण करने में आंकड़ो का संग्रहण चौमु स्थित विभिन्न सरकारी एवं गैर–सरकारी कार्यालयों यथा ब्लॉक सांख्यिकीय कार्यालय, चौमु, तहसील कार्यालय, चौमु, जिला सांख्यिकीय कार्यालय, जयपुर, कृषि अनुसंधान कार्यालय, जयपुर आदि से किया गया है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की रेपोर्ट्स का अध्ययन कर आंकड़ों का संकलन किया गया है।

तहसील में भूमि उपयोग :

भूमि उपयोग भौगोलिक अध्ययन का प्रमुख अंग हैं क्योंकि भूमि और उपयोग दोनों ही अपने आप में अलग–अलग हैं। तहसील में भूमि के वर्गिकरण को निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

वन :

वन प्राकृतिक संसाधनों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वन प्रकृति की मूल्यवान देने है। वनों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33 प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का होना आवश्यक है। अब से तीन शताब्दी पूर्व पृथ्वी का 60 प्रतिशत भाग प्राकृतिक वनों से ढ़का था। अध्ययन क्षेत्र में 16.70 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में वन पाये जाते हैं जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 2.44 प्रतिशत है। सघन वन क्षेत्र केवल पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग के मोरीजा, सामोद, हाडौता, भौपावास, हाथनौदा, फतेहपुरा, कानपुरा, म्हारकलां बरवाडा आदि ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं ।

IJIRSET

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Website: www.ijirset.com

Vol. 6, Issue 9, September 2017

कृषि अयोग्य भूमि : कृषि अयोग्य भूमि को दो वर्गों में विभक्त किया गया है :–

(अ) कृषि के अतिरिक्त काम में ली गई भूमि

(ब) कृषि अयोग्य उसर भूमि।

कृषि के अतिरिक्त अन्य काम में ली गई भूमि के अन्तर्गत आबादी क्षेत्र, सड़के, नहरें, कुएं, जलाशय व कारखाने इत्यादि को शामिल किया जाता है। उसर तथा अकृषि योग्य भूमि से तात्पर्य उस भूमि से है जो वर्तमान समय में कृषि के लिए उचित एवम् उपयुक्त ढंग से काम में नहीं आ रही है। इसका तात्पर्य उस भूमि से है जो वर्तमान समय में कृषि के लिए उचित एवम् उपयुक्त नहीं है बल्कि इसका अर्थ उस भूमि से है जिस भूमि में वर्तमान में कृषि कार्य करना सम्भव नहीं है। इस प्रकार की भूमि को भविष्य में उपयुक्त तकनीक के माध्यम से कृषि योग्य बनाया जा सकता है। सन् 2004–06 के त्रिवर्षीय औसत अनुसार चौमूँ तहसील में कृषि अयोग्य भूमि 61.60 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.01 प्रतिशत है।

सर्वाधिक कृषि अयोग्य भूमि तहसील के पश्चिमी एवं दक्षिणी–पश्चिमी भाग के हस्तेडा (38.19 प्रतिशत), बावडी गोपीनाथ (40.83 प्रतिशत), धिनोई (18.05 प्रतिशत), स्याऊ (21.04 प्रतिशत) गाँवों में है जिसका प्रमुख कारण मेन्डा नदी का प्रवाहित होना है जिसके कारण यहाँ का अधिकांश क्षेत्र कटा–फटा है। अधिक (12 से 16 प्रतिशत) उसर तथा अकृषि योग्य भूमि तहसील के उत्तरी–पश्चिमी मध्यवर्ती भाग के गोविन्दगढ़ (15.63 प्रतिशत), नांगलकला (15.74 प्रतिशत), धोबलाई (12.54 प्रतिशत), चौमूँ (13.28 प्रतिशत), जोधपुरा (15.64 प्रतिशत) गाँवों में है जिसका कारण मेण्डानदी का बहना, अनुसूचित जाति का अधिक होना है। ऊसर तथा अकृषि योग्य भूमि का न्यूनतम क्षेत्र तहसील के उत्तरी मध्य भाग में पाया गया है ।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Website: www.ijirset.com

Vol. 6, Issue 9, September 2017

जोत रहित भूमि : इस भूमि को तीन भागों में बांटा गया है–

(अ) चारागाह

(ब) वृक्षों एवं बागयुक्त भूमि

(स) कृषि योग्य बंजर भूमि

तालिका संख्या 01 : चौमु तहसील में भूमि उपयोग–2014

भूमि उपयोग	क्षेत्र (हैक्टेयर में)
जंगलात	2146
कृषि के अतिरिक्त काम में ली गयी भूमि	4092
ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि	1837
(i) स्थाई चरागाह तथा गोचर भूमि	3805
(ii) वृक्षों के झुण्ड तथा बाग	16
(iii) बंजर (कृषि योग्य भूमि)	435
कुल जोत रहित भूमि (पड़त भूमि क अतिरिक्त)	4256
(iv) अन्य पडत भूमि	3177
(v) चालू पडत भूमि	1891
कुल पडत भूमि	5068
(i) वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल (उपज को घटाकर)	50962
(ii) समस्त बोया गया क्षेत्रफल	87022
एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	36060

स्रोत : पटवार कार्यालय, चौमु

Copyright to IJIRSET DOI:10.15680/IJIRSET.2017.0609219

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Website: www.ijirset.com

Vol. 6, Issue 9, September 2017

चारागाह :

इस तहसील में चारागाह अधिकतर गोचर भूमि के रूप में है जहाँ वर्षाकाल की घास में स्थानीय लोग अपने पशुओं को चराते हैं। लगभग सभी गाँवों में चारागाह भूमि पायी जाती है। इस तहसील के कुल चारागाह भूमि 3777 हैक्टेयर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 5.52 प्रतिशत भाग है। अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक चारागाह पूर्वी, दक्षिणी–पूर्वी भाग एवं दक्षिणी–पश्चिमी भागों 'के जाटावाली, म्हारकलां, फतेहपुरा, डेहरा, गौरी का वास, मण्डा–भिण्डा आदि गाँवों में है। मध्यम (2.5 से 5 प्रतिशत) चारागाह भूमि तहसील के उत्तरी, दक्षिणी एवं उत्तरी–पश्चिमी भाग के गाँवों में है। इस तरह की भूमि का न्यूनतम प्रतिशत तहसील के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी भाग के छोटे–छोटे क्षेत्रों तथा मध्य भाग कुछ भागों में है । समीपवर्ती किसानों के अतिक्रमण के कारण चारागाह क्षेत्र प्रतिवर्ष कम हो रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत चारागाह भूमि पर आवासीय भूखण्ड के रूप में विकसित किया गया है जिसके कारण चारागाह क्षेत्र घटता जा रहा है।

वृक्षों एवं बागयुक्त भूमि :

चौमूँ तहसील में कृषि के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र होने के कारण बागवानी तथा उद्यानों का विकास लगभग शून्य हैं। इस क्षेत्र में सर्वाधिक भू–भाग को समतल करके कृषि के योग्य बना लिया गया है जिसके कारण बागवानी एवं उद्यान क्षेत्र का विस्तार नहीं पाया जाता है। सन् 2004–06 के त्रिवर्षीय औसत से ज्ञात होता है कि तहसील में बागवानी एवं उद्यान के अन्तर्गत केवल 233 हैक्टेयर क्षेत्र है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 0.34 प्रतिशत है। हाड़ौता वन क्षेत्र एवं सामोद वन क्षेत्र के अन्तर्गत बागवानी एवं उद्यान को विकसित किया गया है। जिसका मुख्य कारण अन्य फसलोत्पादन के लिए सिंचाई जल की कमी, बागवानी से अधिक लाभ आदि हैं। वर्तमान में बागवानी के अन्तर्गत आंवला, सेजना, आम, नींबू, बेर, केरूंजा, बिल्वफल, अमरूद, पपीता आदि के पेड़ लगाए गए हैं जिनमें प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। बागवानी का सर्वाधिक विस्तार,

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Website: www.ijirset.com

Vol. 6, Issue 9, September 2017

मोरीजा, हाथनोदा, सामोद, चीथवाड़ी, कुशलपुरा, विजयसिंहपुरा, कालाडेरा, किशनपुरा, चारणवास, रणजीतपुरा आदि गाँवों में हुआ हैं।

कृषि योग्य बंजर भूमि :

इस तरह की भूमि के अन्तर्गत उस भूमि को शामिल किया गया है जो कृषि के लिए उपयुक्त है किन्तु किन्हीं कारणों से कृषि के उपयोग में नहीं ली जा रही है। सन् 2004–06 के त्रिवर्षीय औसत से ज्ञात होता है कि कृषि योग्य परती भूमि तहसील के कुल 2945 हैक्टेयर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.30 प्रतिशत है। सर्वाधिक कृषि योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत (8 प्रतिशत से अधिक) क्षेत्र के दक्षिणीपश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिणी–पूर्वी एवं मध्य भाग के जयसिंहपुरा, चौक, मौरीजा, चिथवाडी, ढेहरा आदि गाँवों में है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ कि मिट्टी पथरीली एवं कंकड़ युक्त है। कृषि योग्य बंजर भूमि का मध्यम (4 से 6 प्रतिशत) तहसील के मध्यवर्ती, दक्षिणीपश्चिमी, दक्षिणी–पूर्वी भाग में है।

सबसे कम (2 प्रतिशत से कम) कृषि योग्य बंजर भूमि क्षेत्र के उत्तरी, उत्तरी–पूर्वी, उत्तरी–पश्चिमी एवं दक्षिणी–पश्चिमी भाग के खेजरोली, निवाना, सिरसा, तिगरिया, किशनपुरा आदि गाँवों में पायी जाती है इसका कारण इस क्षेत्र में मेन्डा नदी प्रवाहित होती है जिससे अधिकांश भाग कटा–फटा है। खेजरोली गाँव में मिट्टी की गहराई कम होने, कुछ वर्षों से लगातार वर्षा का सामान्य वर्ष से भी कम होने के कारण भूमिगत जलस्तर काफी नीचे चला गया है यहाँ भूमि उपजाऊ नहीं है जिसके फलस्वरूप पैदावार बहुत कम होती है ।

पड़त भूमि : पड़त भूमि को निम्न दो वर्गों में विभक्त किया गया है :

(अ) पुरातन पड़त भूमि

(ब) चालू पड़त भूमि

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Website: www.ijirset.com

Vol. 6, Issue 9, September 2017

पुरातन पड़त भूमि :

वह भूमि पुरातन पड़त कहलाती है जिसमें एक बार कृषि कार्य करने के उपरान्त दो से पाँच वर्ष तक के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसी भूमि की उर्वरा क्षमता के ह्रास के कारणों के फलस्वरूप लगातार कृषि कार्य कर पाना संभव नहीं होता है। तहसील में इस भूमि का प्रतिशत 1.67 है।

चालू पड़त भूमि :

चालू पड़त भूमि से तात्पर्य उस कृषि भूमि से है जिसमें किसी कारणवश एक या दो वर्ष के लिए कृषि कार्य स्थगित कर दिया जाता है इस प्रकार किसी खेत में कृषि रोक देने के कई कारण होते हैं। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, समय पर वर्षा न होना, किसान की असमर्थतता आदि। तहसील में इस प्रकार की भूमि का प्रतिशत 1.48 है। सन् 2004–06 के त्रिवर्षीय औसत के अनुसार दोनों पड़त भूमि तहसील के 2156 हैक्टेयर भाग में है जो कुल भू–भाग का 3.15 प्रतिशत है। पड़त भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत (5 प्रतिशत से अधिक) क्षेत्र के मध्य पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी एवं मध्यवर्ती भाग के उदयपुरिया, इटावा, नांगल–भरडा, सान्दरसर, कानरपुरा, दौलतपुरा, घिनोई आदि गाँवों में है। इसका कारण इन गाँवों की भूमि के नत्रजन की मात्रा कम है इस कारण इन गाँवों की मृदा अधिक उपजाऊ नहीं है अतः निरन्तर खाद्य दिये जिनसे कृषि करते रहने से इस भूमि में पैदावार कम हो जाती है। फलस्वरूप ऐसी भूमि को एक या दो वर्ष के लिए परती छोड़ दिया जाता है। दक्षिणी–पश्चिमी भाग में इस भूमि की सर्वाधिकता का कारण यहाँ अनुसूचित जनजाति का अधिक होना है। ये लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर है और भूमि में बिना खाद दिये ही कृषि करते हैं जिससे धीरे–धीरे पैदावार कम हो जाती है तो ये इस भूमि को 1 या 2 वर्ष के लिए पड़ती छोड़ देते हैं। पड़त भूमि का मध्यम प्रतिशत (3 से 4 प्रतिशत) तहसील के पश्चिमी एवं मध्यवर्ती भाग में फैली है। सबसे कम पड़त भूमि का प्रतिशत (2 प्रतिशत से कम) अध्ययन क्षेत्र के पूर्वी, उत्तरी–पश्चिमी, दक्षिणी एवं पश्चिमी भागों के अणतपुरा, चौक, कुशलपुरा, फतेहपुरा, जाटावाली, किशनपुरा, भूतेड़ा, हस्तेडा आदि गाँवों में पायी जाती है इसका कारण इन क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होना है।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Website: www.ijirset.com

Vol. 6, Issue 9, September 2017

वास्तविक बोया गया क्षेत्र :

वास्तविक बोये गए क्षेत्र से तात्पर्य एक कृषि वर्ष में वास्तव में बोये गये क्षेत्र से है। वास्तविक बोये गये क्षेत्र की गणना करने के लिए कुल फसली क्षेत्र में दुपज क्षेत्र को घटा दिया जाता है। सन् 2004–06 के त्रिवर्षीय औसत से ज्ञात होता है कि तहसील में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 514.20 वर्ग कि.मी. है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 75.21 प्रतिशत है। वास्तविक बोये गये क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत (90 प्रतिशत से अधिक) तहसील के उत्तरी, उत्तरी–पश्चिमी एवं मध्य पश्चिमी भाग के किशनपुरा, नांगकोजू, आलीसर, सान्दरसर, खन्नीपुरा आदि गाँवों में है जिसका कारण उत्तरी भाग के क्षेत्रों में भूमिगत जल का पर्याप्त होना तथा जनसंख्या का अधिक होना है। वास्तविक बोये गये क्षेत्र का मध्यम प्रतिशत (70 से 80 प्रतिशत) तहसील के पूर्वी एवं मध्यवर्ती भाग में है। न्यूनतम प्रतिशत (60 प्रतिशत से कम) तहसील के पश्चिमी एवं पूर्वी भाग के गौरीका बास, हस्तेडा, सामोद, मोरीजा, डेहरा, फतेहपुरा आदि गाँवों में है। इसका कारण पश्चिमी भाग में मिट्टी के टीले की अधिकता से कृषि कार्य में कमी आई है। क्षेत्र का पूर्वी भाग पहाड़ी होने से कृषि अयोग्य है।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह ज्ञात होता है की चौमु तहसील में भूमि उपयोग के प्रतिरूप में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है, तहसील में कृषि अयोग्य भूमि के क्षेत्रफल का प्रतिशत कृषि योग्य भूमि की तुलना में कम पाया गया है जो की तहसील में कृषि विकास को इंगित करता है। इसके साथ ही तहसील में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल समान्य औसत से कम पाये जाते है तथा इसमे सुधार को आवश्यकता है।

IJIRSET

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Website: www.ijirset.com

Vol. 6, Issue 9, September 2017

REFERENCES

1. Bharadwaj, O.P. (1961). The arid zone of India and Pakistan. In, A History of Land Use in Arid Re-gions (Ed., L. Dudley Stamp), pp. 143-174. UNESCO, Paris.
2. Chouhan D.S. Studies in the utilization of Agricultural Land. Ist: Pd (1966) P-48
3. Dantwala, M.L. & Shah, C.H. (1971) Evaluation of Land Reforms (Central Report) Deptt. of Economics, University of Bombay. P-16
4. Datya, V.S. : Diddee. Jayamala & Gaikwad, G.D. (1983) Process of hand fragmentation and Effects of Land consolldation on cropping and productivity: A case study of village Nirgudi Pune Dietrict, Annals of the national Associatious of India. Vol. 111 No.1, P-12
5. District Statistical Handbook, Churu, 2015, 2020
6. Francklin, W. (1805). Military Memoirs of Mr. George Thomas. John Stockdale, London (reprint), 392p.
7. Haynes, E. S. (1999). Land use, natural resources and the Rajput state, 1780-1980. In, Desert, Drought and Development (Eds., Rakseh Hooja and Rajendra Joshi), pp.53-119. Rawat Publications, Jaipur.
8. Jetske A, Bauma and Christopher A. Scott (2006) : "The possibilities for dry land crop yield improvement in India's Semi arid regions observations from the field" International water management institute Colombo, Sri Lanka CA Case Study 3.
9. Lakshmi kant sharma S. (1197) : Sustainability of Dry Land Agriculture in India : A case study of Watershed Development Approch" page 117.
10. Ranvir Kumar (2000) "Reclamation of water logged and saline lands through Drainage" in management of water logging problem in Haryana (ed. Dhindwal, A.S. Kuhad, M.S. Vinod Kumar and Suhag L.S.) CCS Haryana Agricultural University Hisar.
11. Stamp. L.D. (1956): The land of Britan, its use and misure hongman Grean & Co. Ltd. London P-426